आखिरी जांच: 4 अक्टूबर 2026 · Department for the Welfare of Differently Abled Persons

Tricycles (Assistive Devices)

तमिलनाडु सरकार उन अस्थि-दिव्यांग व्यक्तियों को ट्राईसाइकिल देती है जिनके दोनों निचले अंग प्रभावित हैं, ताकि वे आसानी से आ-जा सकें।

क्या मिल सकता है

आने-जाने में आसानी के लिए पात्र अस्थि-दिव्यांग व्यक्ति को ट्राईसाइकिल दी जाती है। पसंद आधारित व्यवस्था में आप महंगा मॉडल चुन सकते हैं, पर सरकार के तय मॉडल से ऊपर की लागत आपको खुद देनी होगी।

किसके लिए है

तमिलनाडु के 12 वर्ष से अधिक उम्र के अस्थि-दिव्यांग व्यक्ति, जिनके दोनों निचले अंग प्रभावित हों और ऊपरी अंग सामान्य हों।

मुख्य शर्तें

- दोनों निचले अंग प्रभावित हों और दोनों ऊपरी अंग सामान्य हों।
- उम्र 12 वर्ष से अधिक हो।
- जिस ज़िले या क्षेत्र में आवेदन करें, वहाँ के निवासी हों।

दस्तावेज़

- दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पहचान पत्र

आवेदन कैसे करें

1. अपने ज़िले के ज़िला दिव्यांग कल्याण अधिकारी से निर्धारित आवेदन फॉर्म लें।
2. फॉर्म भरकर दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पहचान पत्र के साथ उसी अधिकारी को दें।
3. शिकायत हो तो दिव्यांगजन कल्याण आयुक्तालय, चेन्नई के तकनीकी अधिकारी को लिखें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://www.scd.tn.gov.in/assistive_device.php
आधिकारिक आवेदन: https://www.scd.tn.gov.in/forms/APPLICATION_FOR_ASSISTIVE_DEVICES_FOR%20.pdf
आधिकारिक PDF: https://cms.tn.gov.in/cms_migrated/document/docfiles/wdap_e_pn_2026_27.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/tamil-nadu/tn-tricycle-assistive-device/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।